

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ (वूरु) राजस्थान

Email : nps222419@gmail.com

Fire Mo. No. - 8824496196

दिनांक : 30-06-2021

क्रमांक : - नपसु / फायर शाखा / 2021 / 1304

प्रेषित :-

श्री आवेदक का नाम :- प्रयागराज रावत

पता : बाल भारती इन्टरनेशनल स्कूल मेधा हाईवे, बाई पास, सुजानगढ।

विषय :- स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके बाल भारती इन्टरनेशनल स्कूल मेधा हाईवे, बाई पास, सुजानगढ का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

❖ शर्तः-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. बाल भारती इन्टरनेशनल स्कूल मेधा हाईवे, बाई पास, सुजानगढ के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम / उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन विभाग द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंभा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे। पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्से भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।


आयुक्त

नगर परिषद सुजानगढ

